तारीख हुक्म		हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स पीठासीन अधिकारी के लघु हस्ताक्षर सहित आदेश इंटेग्रो फिनसर्व प्रा0लि0 बनाम जगदीशनारायण व अन्य ईजराय प्रार्थना पत्र संख्या : 02 / 2024 (31 / 20123) एन0सी0वी0 नंबर 42 / 2023		नम्बर व तारीख जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
25.05.2026		डिकीदार के अधिवक्ता उपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया गया।		

गत आदेश की पालना में कुर्की वारंट जारी किया जाना था परन्तु सम्बन्धित लिपिक द्वारा न्यायालय का ध्यान इस तथ्य की ओर आकृष्ट कराया कि कुर्की हेतु योग्य सम्पत्ति का विवरण डिकीदार पेश नहीं कर सका था जो विवरण तहसीलदार जमवारामगढ़ से मंगवाया जाना अपेक्षित था जिस बाबत् पत्र भी जारी हुआ है। ऐसी स्थिति में कुर्की वारंट जारी नहीं किया जा सका।

न्यायालय द्वारा भी पत्रावली का अवलोकन किया गया।

चूंकि हस्तगत प्रकरण में जब तक मद्‌यून जगदीश नारायण की किसी स्थायी सम्पत्ति का कोई विवरण नहीं मिल जाता है तब तक कुर्की वारंट नहीं जारी किया जा सकता। अतः न्यायालय तहसीलदार, जमवारामगढ़ को एक स्थायी आदेश इस आशय का जारी करती है कि, वह मद्‌यून जगदीशनारायण की जमवारामगढ़ तहसील ग्राम खावरानीजी में स्थित स्थायी सम्पत्ति का विवरण न्यायालय में पेश करे। इस बाबत् डिकीदार से भी अपेक्षा की जाती है कि वह स्थायी सम्पत्ति का विवरण पेश करने का प्रयास करे।

जब तक स्थायी सम्पत्ति का विवरण पेश नहीं होता है, तब तक इस प्रकरण में कोई कार्यवाही संभव नहीं है। अतः पत्रावली नंबर से कम की जाती है। जब स्थायी सम्पत्ति का विवरण उपरोक्तानुसार प्राप्त हो जाएगा तो पत्रावली को नंबर पर लिया जाकर अग्रिम कार्यवाही की जाएगी। अधिवक्ता डिकीदार भी इस तरह से सहमत है।

सम्बन्धित क्लर्क सिविल की निष्पादन याचिका को कार्यालय में रखे और तहसीलदार, जमवारामगढ़ को स्मरण पत्र जारी करे और उनसे अपेक्षित हो कि 15 दिन के भीतर पत्र की पालना सुनिश्चित कराई जाकर न्यायालय को रिपोर्ट दी जाए।

सिविल क्लर्क हर 15 दिन के पश्चात् वारंट की पालना सुनिश्चित करने हेतु पत्र जारी करे। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

Vijay
सिविल न्यायाधीश क्रम-2
जयपुर जिला, जयपुर